

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004.


-- --  
::आदेश::

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

क्रमांक एफ 3-4/2010/1/4:: इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मार्च 2022 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए गये थे, उक्त आदेश दिनांक 30.06.2022 तक प्रभावशील है।

राज्य शासन द्वारा इसी अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक प्रभावशील रहेगा। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थों को भी इस संबंध में सूचित करने का कष्ट करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार

  
( डॉ. श्रीनिवास शर्मा )  
सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-4/2010/1/4  
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 10 जून, 2022

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल,
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
3. उप सचिव, (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल,
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
5. पुलिस महानिदेशक, म.प्र. भोपाल,
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी म.प्र. भोपाल,
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल,
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामनेशन बोर्ड, / माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय भोपाल,
10. शासन के समस्त विभाग